भारत सरकार

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या : 3001**

उत्तर देने की तारीख : 19.03.2025

**ईसाइयों और चर्चों पर हमले**

**3001. श्री एस वेंकटेशन:**

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार के संज्ञान में आए ईसाइयों और चर्चों पर हुए हमलों की राज्यवार संख्या कितनी है; और

(ख) क्या सरकार ने द्वेषपूर्ण भाषणों को रोकने के लिए कोई प्रयास किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

<u>उत्तर</u>

**अल्पसंख्यक कार्य मंत्री**

**(श्री किरेन रिजिजू)**

(क) और (ख): भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत 'पुलिस' और 'सार्वजनिक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं। इसलिए अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ हिंसा से संबंधित मामलों सहित अपराधों की रोकथाम, पता लगाना, पंजीकरण, जांच और अभियोजन, मुख्य रूप से राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से संबंधित विषय है। राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन मौजूदा कानूनों के प्रावधानों के तहत अपराधों से निपटने के लिए सक्षम हैं और जब भी हिंसा के मामले सामने आते हैं, तो कानून लागू करने वाली एजेंसियों द्वारा मौजूदा कानूनों के अनुसार कार्रवाई की जाती है। इस प्रकार, अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा के बारे में विशिष्ट डेटा केंद्रीय रूप से नहीं रखा जाता है। इसके अलावा, भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 196, 299 और 353 के तहत द्वेषपूर्ण भाषण से निपटने के लिए पर्याप्त प्रावधान हैं।

इसके अलावा, भारत सरकार देश में आंतरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था की स्थिति पर नज़र रखती है और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों प्रशासनों के अनुरोध पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) की तैनाती करके बड़ी कानून व्यवस्था की समस्याओं के मामले में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की सहायता करती है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार शांति, सार्वजनिक शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए समय-समय पर उचित सलाह जारी करती है।

*****